भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)

सत्यमेव जयते

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

दिनॉक: 30.08.2017

पत्र सं0 8बी/राज0/07/15/2017/एफ.सी. /240

सेवा में,

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, (वन संरक्षण),
वन विभाग, अरण्य भवन, झालना इंस्टीट्यूशनल एरिया,
जयपुर, राजस्थान

Online Proposal No. FP/RAJ/RAIL/20470/2016

विषयः उदयपुर–हिम्मतनगर रेलवे लाईन के गेज परिवर्तन बाबत 35.7823 हे0 वनभूमि का प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, राजस्थान का पत्रांक– एफ14(Rail)/2016/एफ0सी0ए0/प्रमुवसं/2893, दिनांक– 24.08.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रस्ताव के संबंध में आपसे प्राप्त बिन्दुवार पालना के क्रम में निर्देशानुसार सूचित करना है कि विषयांकित प्रकरण पर आगामी क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक में विचार किया जाएगा। प्रकरण में यह जानना अपेक्षित है कि वर्तमान में उपयोग में लाये जा रहे मीटरगेज रेलवे लाईन के गेज परिवर्तन के पश्चात् पूर्व स्थापित रेलवे लाईन एवं संबंधित वन भूमि का उपयोग प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जाएगा अथवा नही। यदि वर्तमान मीटर गेज रेलवे लाईन में सन्निहित वन भूमि का उपयोग आवश्यक नही रह जाता है तो गेज परिवर्तन के उपरान्त उपयोग में लाई जा रही वर्तमान वन भूमि का राज्य सरकार को प्रत्यावर्तित किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

अनुरोध है कि अपने स्तर से प्रयोक्ता अभिकरण को निर्देशित किया जाए कि वर्तमान में उपयोग में लायी जा रही वन भूमि के प्रत्यावर्तन पर सहमति है तो इसका प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ दिनांक– 07.09.2017 को निर्धारित क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक में प्रस्तुत करें।

भवदीय,

(के0 के0 तिवारी)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. उप वन संरक्षक, उदयपुर, राजस्थान।
2. उप मुख्य इंजीनियर, उ0 प0 रेलवे, उदयपुर, राजस्थान।
3. तकनीकी अधिकारी, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
4. आदेश पत्रावली ।

30.8.17

(के0 के0 तिवारी)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)